

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 754 / 2006
संस्थान दिनांक 21.12.2006

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. दिनेश पिता जगदीश, आयु 35 वर्ष,
निवासी-ग्राम सजवाय, थाना अंजड,
जिला-बड़वानी म.प्र.
2. घमण्डी पिता वीरू, आयु 40 वर्ष,
निवासी-तलाईपुरा, ग्राम दवाना,
थाना ठीकरी, जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 03 / 01 / 2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 290 / 2006 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दिनांक 21.12.2006 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 07.12.2006 को प्रातः लगभग 4-5 बजे ग्राम हरिबड़ में फरियादी करणसिंह के आधिपत्य के रहवासी मकान में चोरी करने के आशय से सूर्योदय के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व अपनी उपस्थिति छूपाते हुए, प्रवेश कर रात्रौ पृच्छन्न गृहअतिचार या रात्रौ पृच्छन्न गृह भेदन कारित करने तथा फरियादी के आधिपत्य के उक्त रहवासी मकान में से बिना फरियादी की अनुमति के एक पेटी मय सात हजार रुपये के बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 07.12.2006 फरियादी करणसिंह अपने परिवार सहित सोया हुआ था । प्रातः 5:00 बजे जब फरियादी की नींद खुली और दरवाजा खुला हुआ था, फरियादी ने घर के अंदर देखा तो घर में रखी पतरे की पेटी नहीं दिखी जिसके अंदर 7,000 / -

रुपये रखे हुए थे व पेटी में ताला लगा हुआ था। फरियादी तथा उपसरपंच जगदीश ने पेटी को आसपास तलाश किया किन्तु नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति दरवाजे की साकल खोलकर चुराकर ले गये, तब मोहल्ले के राजेश मिला और उसने बताया कि रात्रि में दो व्यक्ति घुम रहे थे जिसमें एक का नाम घमण्डी निवासी दवाना तथा दिनेश निवासी हरिबड़ का होना बताया था व उनके पास पैसा होना बताया था फिर जगदीश ने दिनेश को बुलाकर पूछताछ की तो दिनेश ने बताया कि उसे घमण्डी ने पेटी में से चुराए गए रूपयों में से 100/- रुपये दिये थे व घमण्डी 5:00 बजे दवाना चला गया तत्पश्चात् सरपंच सोनार व दिनेश दवाना गये व घमण्डी को लेकर पंचायत में आए व दिनेश व घमण्डी से पूछताछ की, तब दोनों ने बताया कि घर के दरवाजे की साकल खोलकर पेटी चुराई थी। पुलिस ने फरियादी करणसिंह द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण दिनेश एवं घमण्डी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 290/2006 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी करणसिंह की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 13 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त दिनेश से सौ-सौ के कुल 14 नोट कुल रुपये 1400/- जप्त कर प्रदर्शपी 12 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त दिनेश को एक लेडिज पर्स काले रंग का जिसमें 50-50 के दो नोट एवं जलकर की रसीद रखी हुई थी जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने घमण्डी से सफेद रंग की पतरे की पेटी एवं एक प्लास्टिक की डिब्बी जिसमें चांदी की पुरानी चैन एवं सोने के लंबे आकार के मोती वजनी 25 ग्राम कीमत 620/- रुपये एवं नगदी रुपये 110/- रुपये जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त घमण्डी से 50-50 रुपये के 20 नोट कुल रुपये 1000/- जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त घमण्डी एवं दिनेश से पूछताछ कर प्रदर्शपी 3 एवं प्रदर्शपी 4 का साक्ष्य विधान का ज्ञापन बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त घमण्डी एवं दिनेश को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 1 व 2 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये थे तथा पुलिस ने अनुसंधान के दौरान फरियादी करणसिंह व साक्षीगण भारत, सोनार, राजेश, जगदीश के कथन लेखबद्ध किये गये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री एम.के.जैन, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :-

1. क्या दिनांक 07.12.2006 को प्रातः लगभग 4-5 बजे ग्राम हरिबड़ में फरियादी करणसिंह के निवास में सूर्योदय के पश्चात् एवं सूर्योदय के मध्य चोरी करने के आशय से कर रात्रौ पृच्छन्न गृहातिचार या रात्रौ पृच्छन्न गृह भेदन एवं वहाँ रखे रुपये 7000/- की चोरी हुई थी ?

2. क्या उक्त उक्त रात्रौ पृच्छन्न गृहातिचार या रात्रौ भेदन एवं उक्त चोरी अभियुक्तों द्वारा की गई थी ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी जगदीश (अ.सा.1), फरियादी करणसिंह (अ.सा.2), सोनार (अ.सा.3), राजेश (अ.सा.4), भारत (अ.सा.5), सुरेन्द्र (अ.सा.6), संतोष (अ.सा.7) एवं मुन्नीबाई (अ.सा.8) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 1 के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी करणसिंह (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया कि लगभग 3 वर्ष पूर्व रात्रि को उनके घर में चोरी हो गई थी, वे लोग घर में सो रहे थे, प्रातः 5 बजे उठा तो उसने घर में सामने का दरवाजा खुला देखा था फिर उसने घर का सामान देखा, जिसमें लोहे के पतरे की पेटी नहीं मिली। पेटी में सामान एवं 7 हजार रुपये थे, जिसे ताला लगाकर रखी थी। पेटी को उन्होंने मकान में तलाश किया किन्तु पेटी नहीं मिली, फिर उसने हुल्लड़ की तो गाँव के लोग आये और सरपंच सोनार भी आया और उसने चोरी होने की घटना बताई थी, फिर उसने थाने पर प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने गाँव में आकर लिखा-पढ़ी की थी और पूछताछ की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घर के दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, अंदर से दरवाजा बंद था।

8. सोनार अ.सा. 3 ने भी 3 वर्ष पूर्व करणसिंह द्वारा उसके घर से एक पेटी एवं उसमें 15 हजार रुपये की चोरी होने की बात उसे बताने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि फिर करणसिंह ने घटना की रिपोर्ट की थी। भारत अ.सा. 5 ने भी करणसिंह के यहाँ एक पेटी एवं उसमें नगदी 6-7 हजार रुपये चोरी होने की बात स्वीकार की है।

9. उक्त किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया कि करणसिंह के यहाँ मध्य रात्रि में उसके निवास स्थान में घर का दरवाजा खोलकर वहाँ पेटी में रखे 7 हजार रुपये एवं पेटी की चोरी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी करणसिंह के निवास स्थान में मध्य रात्रि के समय रात्रो प्रच्छन्न गृहातिचार या रात्रि गृह भेदन तथा वहाँ रखे 7 हजार रुपये की चोरी हुई थी।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न 2 के संबंध में

10. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी करणसिंह (अ.सा.2) ने अपने कथन में बताया कि गाँव के लोगों ने बताया था कि रात्रि को पैसे दिनेश को वापरते हुए देखा था, तब दिनेश पर शंका हुई थी तब दिनेश को सरपंच ने बुलाकर पूछा था, तो दिनेश ने बताया था कि पेटी वह ले गया था। दिनेश ने एक और आदमी का नाम बताया था जिसका नाम वह नहीं जानता है, लेकिन साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त घमण्डी की पहचान दूसरे अभियुक्त के रूप में की तथा यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यक्ति दवाना में रहता है फिर दवाना से अभियुक्त घमण्डी को पकड़ कर लाये थे, फिर हरिबड़ पंचायत में सरपंच साहब ने पूछताछ की तो दोनों अभियुक्तों ने चोरी करना स्वीकार किया और पेटी शमसान घाट में डालना बताया था, फिर सरपंच एवं गाँव के लोग शमसान घाट गये और वहाँ से पेटी लेकर आये। पेटी का ताला टूटा था और पेटी को खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था, फिर थाने पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाया, तब पुलिस पंचायत में आई और सरपंच साहब के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज की।

11. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त दिनेश के यहाँ विवाह था और उसे गाँव के राजेश एवं भारत आदि लोगों ने बताया था कि दिनेश रात्रि 4-5 बजे मदिरा दुकान पर पैसे खर्च कर रहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि गाँव में रात्रि 9-10 बजे बाद दुकाने बंद हो जाती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके गाँव में अंजड़ का जो मदिरा का ठेकेदार है उसने अपने एजेंट रखे हैं और मदिरा ठेकेदार जगदीश ने नहीं बताया था कि उसके यहाँ रात्रि में दिनेश मदिरा पीने आया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जब दिनेश को बुलाया था तब सरपंच एवं उपसरपंच ने ठोस-ठपट दी तब अभियुक्त ने स्वीकार किया था और घमण्डी को भी पंचायत सरपंच, राजेश एवं जगदीश ने पंचायत में जाकर धमकी दी थी। उसके बाद सरपंच ने फोन थाने पर करके पुलिस को बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को दिनेश एवं घमण्डी को हरिबड़ सुबह 9:30 बजे सुपुर्द किया था। ऐसा नहीं हुआ कि वह तथा गाँव के राजेश, भारत एवं जगदीश

अभियुक्तों को पकड़ कर थाने पर ले गये थे और रिपोर्ट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके यहाँ 7 हजार रुपये के नोट किस प्रकार के थे, वह नहीं बता सकता है। उसके यहाँ पेटी में रखे 7 हजार रुपये के नोट के अलावा किसी अन्य चीज की चोरी नहीं हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके घर की पेटी में 7 हजार रुपये की चोरी नहीं हुई थी, बल्कि 3 हजार रुपये की चोरी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट में सोने का मंगलसूत्र, चांदी की चैन एवं मोती चोरी होने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसे गौव के राजेश ने यह बताया था कि रात्रि में दिनेश या दो व्यक्ति घूम रहे थे।

12. सोनार अ.सा.3, राजेश अ.सा.4, भारत अ.सा.5 अभियुक्तों द्वारा उनके समक्ष चोरी के संबंध में न्यायोकेत्तर स्वीकृति किये जाने के साक्षीगण हैं। किन्तु उक्त किसी भी साक्षी ने अभियुक्तों द्वारा उनके समक्ष चोरी की संबंध में स्वीकारोक्ति किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है। सोनार अ.सा.3 ने केवल इतना स्वीकार किया कि उस समय वह ग्राम हरिबड़ का सरपंच था और करणसिंह ने घटना की रिपोर्ट पुलिस को थी, उसने अभियुक्त दिनेश को बुलाकर कोई पूछताछ नहीं की थी, वह अभियुक्त घमण्डी को भी नहीं जानता है। उसके समक्ष अभियुक्तों ने चोरी करने एवं पेटी नाले में फेंकने की बात नहीं बताई थी और उसने नाले में फेंकी पेटी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 9 का कथन पुलिस को देने से भी इंकार किया है।

13. राजेश अ.सा.4 ने केवल प्रदर्शपी 1 से 6 के पंचनामों पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी का यह कथन है कि उक्त हस्ताक्षर पुलिस ने उससे करवाये थे। साक्षी ने यहाँ तब कि फरियादी करणसिंह के यहाँ चोरी की जानकारी होने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी ने भी पुलिस को प्रदर्शपी 10 का कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है।

14. भारत अ.सा.5 ने अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि राजेश ने उनको अभियुक्तों द्वारा घर में घुसकर चोरी करने की बता बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि फिर वह, सरपंच राजेश तथा मड़िया आदि दवाना के वहाँ से घमण्डी को लेकर आये तथा अभियुक्तों ने उनके समक्ष करणसिंह के यहाँ से चोरी करने की और पुरानी पेटी नाले में फेंकने की बात बताई थी। इस साक्षी ने भी प्रदर्शपी 11 का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है।

15. जगदीश अ.सा.1, संतोष अ.सा. 7 ने भी अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त साक्षियों को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। जगदीश अ.सा.1 ने केवल प्रदर्शपी 1 लगायत 7 के पंचनामों पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी ने भी अभियुक्तों द्वारा 15-15 सौ रुपये पुलिस को जप्त कराने के संबंध में कथन किये हैं। संतोष अ.सा.7 ने भी अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त घमण्डी ने 50-50 रुपये के 20 नोट इस प्रकार कुल 1 हजार रुपये जप्त किये थे। मुन्नीबाई अ.सा.8 ने भी केवल इतना कथन किया कि घटना वाले दिन पुलिस दिनेश को लेकर उसके घर आई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त दिनेश से 100-100 रुपये के 14 नोट प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त किये थे।

16. सहायक उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कनेश अ.सा.6 ने दिनांक 07.01.2006 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 290/06 की विवेचना के दौरान थाना अंजड़ में अभियुक्त दिनेश के पेश करने पर एक लेडिज पर्श काले रंग का उसके अंदर 50 रुपये के 2 नोट तथा जलकर की रसीदें प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त की थी। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त घमण्डी से एक पतरे की पेटी सफेद रंग की जिसके ऊपर कंकू से चार स्वस्तिक के निशान थे तथा एक प्लास्टिक के डिब्बे जिसमें चांदी की पुरानी चेन और एक सोने का लंबे आकार का मोती प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त किये थे। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने करणसिंह, राजेश एवं जगदीश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। अभियुक्त घमण्डी से घटना के संबंध में पूछताछ की थी तो उसने अपने हिस्से में आये 1500/- रुपये एक पेटी, चांदी की चेन, जिसमें सोने का मोती लगा हुआ तथा शेष 1000/- रुपये घर में पेटी में छिपाकर रखना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 3 का उसने बनाया था। उसने अभियुक्त दिनेश से पूछताछ की थी तो अपने हिस्से में आये 1500/- रुपये में से 400/- रुपये घर में पेटी में रखे होने की बात बताई थी, जिसका प्रदर्शपी 4 का मेमोरेण्डम बनाया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त घमण्डी को लेकर उसके घर ग्राम दवाना गया था तो अभियुक्त घमण्डी ने अपने घर से 50-50 के 20 नोट प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त कराये तथा अभियुक्त दिनेश ने साक्षियों के समक्ष 100-100 के 14 नोट प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त करोये थे। उसने घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 13 का बनया था जिसक ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17. अभियुक्त घमण्डी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उसने दो बार जप्ती की कार्यवाही की थी। एक बार मेमोरेण्डम के पूर्व जप्ती की थी तथा दूसरी बार मेमोरेण्डम के बाद जप्ती की थी। अभियुक्त दिनेश की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी करणसिंह ने रुपये 7 हजार चोरी होने की बात बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि करणसिंह ने उसके यहाँ से चोरी में सोने का मंगलसूत्र, चांदी की चेन एवं मोती चोरी होने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसे कोई मेमोरेण्डम नहीं दिया था अथवा उसने अभियुक्तों से कोई जप्ती नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने असत्य विवेचना की है।

18. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 में अभियुक्तों द्वारा उसके सामने चोरी की स्वीकारोक्ति करने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन उक्त स्वीकारोक्ति जिन अभियोजन साक्षियों के सामने किया जाना फरियादी ने बताया है। उक्त अभियोजन साक्षी सोनार अ.सा.3, राजेश अ.सा. 4 भारत अ.सा. 5 ने अभियुक्तों द्वारा अपने सामने उक्त न्यायोकेत्तर स्वीकृति किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये थे तथा अभियुक्तों से उक्त चोरी की सम्पत्ति रुपये 7 हजार के जप्त होने के साक्षीगण जगदीश अ.सा. 1, भारत अ.सा. 5 तथा संतोष अ.सा. 7 एवं मुन्नीबाई अ.सा. 8 ने भी मेमोरेण्डम एवं जप्ती पंचनामों उनके समक्ष बनाये जाने से स्पष्ट इंकार किया है तथा अभियोजन के मामले का पूर्णतः खण्डन किया है, यहाँ तक कि साक्षियों ने उनके समक्ष अभियुक्तों को गिरफ्तार करने से भी इंकार किया है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकापद हो जाती है। अतः अभियुक्तों के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषस्ति नहीं किया जा सकता है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

19. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय दोनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव उक्त अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 457, 380 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर अभियुक्त दिनेश के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त घमण्डी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में उसका रिहाई आदेश जारी हो।

20. प्रकरण में जप्तशुदा रूपये 2600/— उसके स्वामी/फरियादी करणसिंह को दिये जाये तथा जप्त सम्पत्ति चाँदी की चैन व मंगलसूत्र के मोती के संबंध में किसी ने स्वत्व नहीं होना बताया है। अतः अपील अवधि पश्चात् राजसात की नीलाम की जाकर धनराशि कोषालय में जमा हो, यदि कोई दावेदार उपस्थित हो, तो नीलाम की धनराशि उसे दी जाये। शेष जप्त सम्पत्ति लोहे के पतरे की पेटी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस
ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र
निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम	:-	दिलीप पिता नन्दू आयु 27 वर्ष, निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी जिला-बड़वानी म.प्र.
गिरफ्तारी का दिनांक	:-	20.05.2012
पुलिस रिमाण्ड की अवधि	:-	निरंक
न्यायिक अभिरक्षा में अवधि	:-	निरंक

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड (म0प्र0)

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 29.11.2014 तक

मै श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 245/2012 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध सुनिल उर्फ गोलू आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सुनिल उर्फ गोलू पिता सुभाष, आयु 20 वर्ष
निवासी- ग्राम बरूफाटक, तहसील ठीकरी
जिला-बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 20.05.2012

पुलिस रिमाण्ड की अवधि :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अवधि :- 29.10.2014 से निरंतर

इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में
कुल 31 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0